भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1996
दिनांक 17 दिसंबर, 2025 / 26 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

नशीली दवाओं से युक्त वेप उपकरण

1996 श्री संजय राउतः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन रिपोर्टों पर ध्यान दिया है कि विभिन्न राज्यों में जब्त किए गए ई-सिगरेट और वेप उपकरणों में मेथामफेटामाइन, केटामाइन और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स जैसे मादक पदार्थ पाए गए हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान हुई जब्तियों तथा प्रयोगशाला जाँच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ऐसे मिलावटी वेप की तस्करी में शामिल किसी सीमा-पार या संगठित नेटवर्क की पहचान की गई है;
(घ) विमानपत्तनों, पत्तनों और कूरियर केंद्रों पर जांच को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ) क्या सरकार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम या इलेक्ट्रोनिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम (पीईसीओ), 2019 के संशोधनों का प्रस्ताव रखती है; और
(च) छात्रों को ऑनलाइन उपलब्ध ऐसे खतरनाक उपकरणों तक पहुँच से बचाने हेतु कौन-से उपाय अपनाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (पीईसीए), 2019 के तहत ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस अधिनियम के तहत, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन निषिद्ध है। इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की है, जिसके तहत वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से इसे लागू करते हैं। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने मादक पदार्थों वाली ई-सिगरेट और वेप उपकरणों की जब्ती से जुड़े किसी भी मामले की जांच नहीं की है।

राज्य सभा अता.प्र.सं. 1996, दिनांक 17.12.2025

(घ): सरकार ने हवाई अड्डों, बंदरगाहों आदि पर स्क्रीनिंग को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

(i) हवाई अड्डों, बंदरगाहों आदि पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, सरकार राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), सीमा शुल्क क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से निरंतर नजर रखती है और ऑपरेशनल उपाय करती है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, खुफिया जानकारी पर आधारित कार्रवाई, एडवांस यात्री सूचना प्रणाली (एपीआईएस) की सहायता से यात्री प्रोफाइलिंग, जोखिम-आधारित निषेध एवं लक्ष्यीकरण, सामान तथा कंटेनर स्कैनिंग जैसी नॉन-इंट्रूजिव जांच और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखना शामिल है।

(ii) क्षेत्रीय इकाइयों को नियमित रूप से तस्करी के नए तरीकों के प्रति जागरुक बनाया जाता है।

(iii) हवाई अड्डों पर ऐसे के9 (कैनाइन) दस्ते की तैनाती की जाती है, जो कि नशीले पदार्थों का पता लगाने में दक्ष हैं।

(iv) हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर मादक पदार्थों का पता लगाने और उन्हें जब्त करने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है, जिसमें शामिल व्यक्तियों की गिरफ्तारी और अभियोजन भी शामिल है।

(ङ): इस संबंध में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च): सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (पीईसीए), 2019 के तहत ई-सिगरेट के उत्पादन और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: -

(i) राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933 "मादक-पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र" (मानस) को 24x7 टोल-फ्री राष्ट्रीय नार्कोटिक्स कॉल सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। तदनुसार, मानस की परिकल्पना एक एकीकृत प्रणाली के रूप में की गई है, जो नागरिकों को कॉल, एसएमएस, चैट-बॉट, ई-मेल और वेब-लिंक जैसे संचार के विभिन्न तरीकों के माध्यम से मादक पदार्थों से संबंधित शिकायतों/समस्याओं को लॉग, रजिस्टर, ट्रैक और हल करने के लिए एक एकल मंच प्रदान करती है।

(ii) नशामुक्ति के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, 14446 चलाई जा रही है। अब तक नशामुक्ति के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन पर 4.30 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हुए हैं।

राज्य सभा अता.प्र.सं. 1996, दिनांक 17.12.2025

(iii) देश के सभी जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया गया। इसने 8.7 करोड़ युवाओं और 6 करोड़ महिलाओं सहित 24.9 करोड़ से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच बनाई है।

(iv) सरकार अपने स्वायत्त निकाय 'राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी)' और अन्य सहयोगी एजेंसियों जैसे कि 'राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी)', 'केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)' आदि के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के लिए नियमित रूप से जागरूकता सृजन और जानकारी सत्रों की व्यवस्था करती है।

(v) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) द्वारा छात्रों (6ठी-11वीं कक्षा), शिक्षकों और अभिभावकों को मादक पदार्थों पर निर्भरता से निपटने से संबंधित रणनीतियों एवं जीवन कौशल के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए नवचेतना मॉड्यूल, शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।

(vi) स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पूरे वर्ष रैलियों, चित्रकला, पर्चे और पोस्टर वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, रेडियो कार्यक्रम और जागरूकता अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

*****